



बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC-1145

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमंडल, छपरा

पटना 14, दिनांक- 23/10/2018

विषय - छपरा जिलान्तर्गत सोनपुर-दरिहारा (0.00-39.40 KM) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 33.49 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Road/30705/2017/2604 दिनांक 26.09.2018

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 33.49 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है-

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 33.49 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 2,09,64,740/- (रुपये दो करोड़ नौ लाख चौसठ हजार सात सौ चालीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण एवं विभाग को उपलब्ध कराएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-4 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर तथा वर्तमान मजदूरी रू० 257/- प्रति मानव दिवस पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 1,57,36,890/- (रुपये एक करोड़ सनतावन लाख छत्तीस हजार आठ सौ नब्बे) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रू० 3,67,01,630/- (रुपये तीन करोड़ सड़सठ लाख एक हजार छः सौ तीस) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 18 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।


25/10/18

विश्वासभाजन,

ह०/-


(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC-1145

दिनांक- 23/10/2018

प्रतिलिपि- वन संरक्षक सीवान अंचल, सीवान को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

0/6